







31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai for the year ended 31March 2018

- 1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शतेंं) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि लेखे की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।
- 2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखाकरण नीतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण प्रक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का समावेश है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा प्रभावशीलता एवं निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर यदि लेखा-परीक्षा के कोई प्रेक्षण होते हैं तो वे निरीक्षण रिपोर्टों / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से बताए जाते हैं।
- 3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम यह लेखा परीक्षा इस प्रकार करते हैं कि यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरणों में आर्थिक रूप से कोई गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटन की नमूना आधार पर जाँच शामिल होती है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का आकलन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा दी गई राय के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत करती है।
- लेखा-परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि (i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो
 हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा
 करने के लिए आवश्यक थे।

- We have audited the attached Balance Sheet of Jawaharlal Nehru Port Trustas at 31 March 2018 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service), Act 1971 read with Section 102 (2) of Major Port trusts Act, 1963. These financial statements are the responsibility of the Jawaharlal Nehru Port Trust's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standars and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standars generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material missatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supproting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluting the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for out opinion.
- 4. Based on our audit, we report that :
 - i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit



- (ii) इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102(1) के तहत न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जाँच से यह प्रतीत होता है कि जनेप न्यास ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102(1) के तहत अपेक्षित लेखा बहियों एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उचित रख-रखाव किया है। (iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:

क. तुलन-पत्र

- क 1. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची-6)
- क. 1.1 निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज रु. 198.02 करोड़ रोकड़ एवं बैंक शेष (राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा रसीदें)– रु.4672.1३ करोड़

उपर्युक्त में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में (फरवरी, 2014 में) किए गए साविध जमा की शेष राशि रु. 67.59 करोड़ और उस पर 31 मार्च, 2018 तक प्रोद्भूत रु. 38.98 करोड़ के ब्याज की राशि शामिल है। यह मामला क्योंकि सीबीआई की अदालत में लंबित है और जनेप न्यास के पास रु. 67.59 करोड़ की साविध जमा रसीद नहीं है, उसे रु. 67.59 करोड़ के संदिग्ध निवेश तथा उस पर रु. 38.98 करोड़ के प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान करना चाहिए था। संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने के कारण लाभ को रु. 106.57 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया और परिणामस्वरूप रोकड़ एवं बैंक शेष रु. 67.59 करोड़ तथा निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज रु. 38.98 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है। इस विषय को वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में भी उठाया गया था लेकिन अभी तक कोई निवारणात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.1.2 बैंकों में रोकड़ - रु.41.85 करोड़

उपर्युक्त में 'वसूली के लिए चेक भेजे गए लेकिन अभी राशि जमा नहीं हुई' नामक स्वतंत्र शीर्ष के तहत दिखाए गए रु.9,49,868 शामिल हैं। इसे वर्ष २०१०-११ से दिखाया जा रहा है किन्तु, पत्तन के पास इस बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। जानकारी के अभाव में लेखा परीक्षा शेष रोकड़ की यथातथ्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी।

क.1.3 विविध ऋण - रु. 790.50 करोड़ (अनुसूची 6)

(i) पत्तन न्यासों की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसार सदोष तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा विविध ऋणों से हटाया जाना चाहिए । सदोष तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने हेतु लेखाकरण नीति के अभाव में लेखा परीक्षा विविध देनदारों की राशि की सटीकता और लाभ के परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है ।

ii) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Section 102 (1) of the Major Port Tursts Act, 1963. iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Jawaharlal Nehru Port Trust as required under Section 102 (1) of the Major Port Trusts Act, 1963 in so far as

iv) We further report that

A. Balance Sheet

A.1 Current Assets, Loan and Advances (Schedule-6)

it appears from our examination of such books.

A1.1 Interest accured on Investments Rs, 198.02 crore Cash and Bank Balance (including TDR with banks) Rs 4672.13 crore

The above includes an amount of Rs. 67.59 crore being the balance amount of fixed deposit (deposited in February 2014) and interest accured thereon up to 31 March 2018 amounting to Rs. 38.98 crore pending receipt from Oriental Bank of Commerce (OBC). As the matter is pending in the CBI Court and JNPT did not have fixed deposit receipt / term deposit receipt for Rs. 67.59 crore, it should have provided for doubtful investment of Rs 67.59 crore and interest accured amounting to Rs. 38.98 crore. Non-provisioning for doubtful investment has resulted of Cash and Bank Balances by Rs. 67.59 Crore and Interest Accrued on Investments by Rs. 38.98 crore.

This issue was raised during 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17 also, however no corrective action has been taken yet.

A.1.2 Cast at Bank - Rs. 41.85 crore

The above includes Rs. 9,49,868 shown under separate head of account namely Cheques sent for collection but not yet cleared". This is being shown since 2010-11 and further details were not available with the port.

In the absence of details, the correctness of cash balance could not be vouchsafed by audit.

A.1.3 Sundry Debtors - Rs 790.50 crore (Schedule 6)

i) As per the common Framework of Finacial Reporting for Ports, a provision for bad and doubtfule debs should be created and deducted from Sunday Debtos. In the absence of accounting policy for provision for bad and doubtful debts, audit is unable to comment on the correctness of the amount of Sundry Debtors and its impact on Profit.



- (ii) उपर्युक्त में सीमाशुल्क विभाग पर वर्ष 2005 से 2008 तक का भूमि किराया (रु.3.02 करोड़) तथा उस पर दण्डस्वरूप ब्याज (वर्ष 2013 तक दावा किया गया रु.2.38 करोड़) के संबंध में बकाया रु.5.40 करोड़ शामिल है। जनेप न्यास और सीमाशुल्क विभाग के बीच इस बारे में कोई करार न होने के कारण सीमाशुल्क विभाग ने इस दावे का विरोध किया है। बकाया राशि की वसूली अनिश्चित होने के कारण उसका प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके लिए प्रावधान न होने कारण विविध देनदारों को तथा लाभ को रु.5.40 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया है।
- (iii) उपर्युक्त में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से की गई सुरक्षा किमेंयों की अतिरिक्त तैनाती के संबंध में पत्तन द्वारा मेसर्स एनएसआईसीटी (बीओटी प्रचालक) पर किए गए अतिरिक्त दावे की रु.20.67 करोड़ राशि शामिल है।
- ख.1 लाभ और हानि लेखा
- ख.1 आय
- ख.1.1 सम्पदा किराया

भूमि का किराया - रु. 104.51 करोड़ (अनुसूची -11)

इसमें वर्ष 2017-18 की अविध के लिए जनेप न्यास भूमि से गुजरनेवाली पाइपलाइनों के लिए ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देय का वे लीव प्रभार तथा पट्टा किराया" के रु. 7.37 करोड़ शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरुप वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम को कम करके दिखाया गया है और लाभ को रु. 7.37 करोड़ से कम करके दिखाया गया है।

इस मुद्दे को वर्ष 2016-17 के दौरान भी उठाया गया था लेकिन अभी तक निवारणात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. 1.2 बीओटी ठेकों से आय - रु. 789.39 करोड़ (अनुसूची - 12)

उपर्युक्त में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से 265.95 करोड़ का राजस्व हिस्सा, न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) से रु. 114.63 करोड़ न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) से रॉयल्टी आय का रु. 202.72 करोड़ और भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल लि. (बीएमसीटी) से रु. 5.75 करोड़ का राजस्व हिस्सा मिलाकर कुल रु. 589.05 करोड़ शामिल है।

जीटीआईपीएल, एनएसआईजीटी तथा बीएमसीटी के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार पत्तन के पास बीओटी प्रचालकों के राजस्व, वित्तीय विवरणों आदि की लेखापरीक्षा और सत्यापन करने लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षक नियुक्त करने का विकल्प था। इस संदर्भ में यह पाया गया था कि:

 पत्तन के लेखों के साथ-साथ लेखों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष सभी बीओटी प्रचालकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती थी, पर पत्तन के पास वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। ii) The above includes an amount of Rs. 5.40 crores outstanding from custom department towards the ground rent (Rs.3.02 crores) for the period 2005 to 2008 and penal interest thereon (Rs.2.38 crores claimed upto 2013). As there was no formal agreement executed between JNPT and Customs Department and the department has disputed the claim, the recoverability of dues is not certain and should therefore have been provided for. Non-provision of the same resulted in overstatement of Sunday Debtors and Profit by Rs. 5.40 crore.

iii) The above include an amount of Rs. 20.67 crore being the excess claim raised on M/s. NSICT (BOT operators) by the port towards the cost of additional deployment of security personnel by CISF Office.

B Profit and Loss Account

- **B.1** Income
- **B.1.1 Estate Rentals**

Rent on Land - Rs. 104.51 crore (Schedule-11)

This does not include Rs. 7.37 crore being the "Way leave charges and lease rent", due for the period 2017-18 from ONGC and BPCL for pipelines passing through JNPT land. This has resulted in understatement of Current Assets Loan, Advances and understatement of Profit by Rs. 7.37 crore.

This issue was raised during 2016-17 also, however, no corrective action has been taken yet.

B1.2 Income from BOT contracts Rs. 789.39 Crore (Schedule 12)

The above includes Rs. 589.05 crore being revenue share of Rs. 265.95 crore from Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) Rs. 114.63 crore from Nhava Sheva (India) Gateway Terminal (NSIGT), roylaty Income of Rs. 202.72 crore from Nhava Sheva International Container Terminal (NSICT) an revenue share of Rs. 5.75 crore from Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited (BMCT).

As per the Licence Agreement with GTIPL, NSIGT and BMCT, the port has the option to appoint an additional auditor to audit and verity revenue, financial statements etc. of the BOT operators In this context it was observed that:

i) The audit report of all BOT operators were being finalised every year after the finalisation of accounts as well as audit of the accounts of the Port and as such, audit reports for the year 2017-18 were not available with the Port.



ii) यद्यपि प्रबंधन ने कहा था कि यदि लेखा परीक्षकों द्वारा राजस्व अंश में कोई कमी इंगित की गई तो उसे आगामी वर्ष में वसूल कर लिया गया है, इसे जीटीआईपीएल के संबंध में सही नहीं पाया गया जहाँ रु.2738.50 लाख (वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक के लिए) की वसूली लंबित थी जबिक यह मामला न्यायालय में था। इसी तरह एनएसआईजीटी से वर्ष 2016-17 के लिए रु.0.16 लाख की वसूली लंबित थी।

लेखापरीक्षित विवरण न होने के कारण जनेप न्यास द्वारा लेखा बहियों में दशाई गई रु. 589.05 करोड़ के राजस्व हिस्से / रॉयल्टी की यथातथ्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी ।

(इस मुद्दे को वर्ष २०१६–१७ के दौरान में भी उठाया गया था लेकिन अभी तक निवारणात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।)

ग. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 25)

- (i) जनेप न्यास ने इंडियन एज्युकेशन सोसायटी को उनके व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम का भुगतान किया था। भुगतान किए गए अग्रिम के आधार पर अग्रिम तथा व्यय के लिए प्रावधान रु. 7.95 करोड़ (2015-16 से 2017-18 तक) था। चूँकि इंडियन एज्युकेशन सोसायटी के लेखा परीक्षित लेखे पत्तन के पास उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण अग्रिमों तथा प्रावधानों का समायोजन नहीं हुआ। इस तथ्य को लेखों पर टिप्पणी में स्पष्ट किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान में भी उठाया गया था लेकिन अभी तक निवारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- (ii) लेखाकरण मानक 15 (कर्मचारी लाभ) के अनुसार जहां सेवानिवृत्ति लाभों की देयताओं का वित्त पोषण एक न्यास का निर्माण करके किया गया था, वर्ष के दौरान किए गए खर्च को बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा बीमांकि मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्दिष्ट अंशदान को लाभ एवं हानि खातों में दिखाया जाएगा।

उपदान निधि के लिए 31 मार्च, 2018 तक 92.74 करोड़ के निधि की आवश्यकता थी जिसका बीमांकिक मूल्यांकन उपदान की रु.10 लाख की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए किया गया था । भारत सरकार द्वारा दि.29 मार्च, 2018 को उपदान की अधिकतम सीमा में संशोधन करके रु.10 लाख से रु. 20 लाख की गई है । क्योंकि रु.20 लाख की संशोधित अधिकतम सीमा को ध्यान में रखा नहीं गया था, इसके कारण वर्ष के लिए उपदान देयता की राशि उचित नहीं है ।

विवरणों के अभाव में वर्ष 2017-18 के लिए उपदान निधि की देयता में कमी को निर्धारित नहीं किया जा सका।

ii) Though the Management stated that the shortfalls, if any, in revenue share as pointed out by Auditors are recovered in the subsequent year, it was not correct in respect of GTIPL, where a sum of Rs. 2738.50 lakh (for the period 2011-12 to 2016-17) was pending recovery and the same was under arbitration. Similarly, sum of Rs. 0.16 lakh for the period 2016-17 was pending recovery from NSIGT also.

In the absence of audited statements, the veracity of revenue share / royalti of Rs. 589.05 crore as reflected in the books of accounts of JNPT could not be vouchsafed.

(This issue was raised during 2016-17 also; however, no corrective action has been taken yet.)

C. Notes on Accounts for the year ended 31 March 2018 (Schedule-25)

i) JNPT made advance payments to the Indian Education Society (IES) for meeting its expenses. Advances and the provision for expenses based on the advances paid, amounted to Rs. 7.95 crore (2015-16 to 2017-18)

As the audited accounts of IES were not available with the port, the advance and provision remained unadusted. This fact should have been disclosed in the NOtes to Accounts

This issue was raised during 2015-16 and 2016-17 also, however, no corrective action has been taken yet.

ii) As per Accounting Standard 15 (Employee Benefits) where the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation and the contribution payable by the employer as specified by the Actuary's Valuation Report shall be charged to the statement of Profit and Loss Accounts.

With respect to the Gratuity Fund, fund requirement as on 31 March 2018 was Rs. 92.74 crore which was assessed as per Actuarial valuation considering gratuity celling of Rs. 10 Lakh. The ceiling rate for gratuity was revised from Rs. 10 Lakh to Rs. 20 Lakh by the Government of India on 29 March 2018. Since the revised ceiling of Rs. 20 lakh was not considered, the assumptions taken to arrive at the liability for Gratuity for the year is not correct.

The amount of shortfall in liability towards Gratuity Fund for the year 2017-18 could not be quantified for want of details.



घ. प्रबंधन पत्र

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो किमयाँ शामिल नहीं हैं उन्हें सुधारक / निवारक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से पत्तन के ध्यान में लाया गया है।

- (v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे प्रेक्षणों के अधीन यह सूचित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (vi) हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण विषयों और इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-ख में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिध्दान्तों से अनुरूपता की दृष्टि से सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करता हैं जहाँ तक कि वे :
- (क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के मंडल के 31 मार्च, 2018 के कार्यों की स्थिति के अनुसार तूलन पत्र से संबंधित हैं, तथा
- (ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पत्तन के लाभ के लाभ तथा हानि लेखा से संबंधित हैं।
- 5. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखाने वाले लेखों की समीक्षा अनुबंध-II में दी गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

JI. Otr

(गुलजारी लाल)

महानिर्देशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड-।, मुंबई.

स्थान : मुंबई

दिनांक: 17 सितम्बर, 2018

अस्वीकरण : पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी मे जारी प्रतिवेदन मान्य होगा ।

D Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Port through a Management Letter issued separately for remedial / corrective action.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of Accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements read together the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this Audit Report gies a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.
- a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affair of Jawaharlal Nehru Port Trust as at 31March 2018 and
- b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date.
- 5. A Review of Accounts showing the summarized finaicial results of Jawaharlal Nehru Port Trust for three years ended 31March 2018 is given in Annexure-II.

For and on behalf of The Comptroller and Auditor General of India

(Guljari Lal)

Director General of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai

Date 17 September 2018.

Disclaimer: If any discrepancy is observed in the Hindi translation of the Seperate Audit Report issued in English shall prevail.



अनुबंध / Annexure - I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2017-18 के लिए पत्तन की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य वर्ष के अंत में (मार्च 2018) मेसर्स ए.डी.अंजीकर एण्ड कंपनी को सौंपा गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

2. आंतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित कारणों से पत्तन की आंतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है:

- (i) बैंक समाधान विवरण में लंबी समयाविध के लिए समायोजित लंबित कई मदों की पहचान की गई।
- (क) बैंक द्वारा रु. 4.05 करोड़ की राशि जमा की गई (दि.21/11/2009 से 29/09/2017 तक लंबित 291 मदें) किन्तु जनेप न्यास के बैंक बही में उसकी पहचान नहीं की गई।
- (ख) रु. 0.22 करोड़ की राशि जनेप न्यास बैंक बही में जमा की गई (दि.21/07/2010 से 06/11/2017 तक लंबित 50 मदें) किन्तु बैंक विवरण में शामिल नहीं है।
- (ग) बैंक द्वारा रु. 0.40 करोड़ की राशि आहरित की गई (दि.7/4/2003 से 28/09/2017 तक लंबित 75 मदें) किन्तु जनेप न्यास के बैंक बही में उसकी पहचान नहीं की गई।
- (घ) जनेप न्यास बैंक बही में रु. 2.17 करोड़ की राशि आहरित दिखाई गई (दि.14/3/2013 से 30/3/2017 तक लंबित 23 मदें) किन्तु बैंक विवरण में उसकी पहचान नहीं की गई।
- (इ) रु.0.30 करोड़ की राशि का चेक जारी किया गया (दि.16/11/2011 से 28/09/2017 तक लंबित 36 मदें) किन्तु पार्टी द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इन पुराने चेकों को लौटाया नहीं गया।

3. नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2017-18 के लिए नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में कोई विसंगतियां नहीं देखी गई।

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

पत्तन ने कोई मूल्यहास नीति तैयार नहीं की है और न ही महापत्तनों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क में निहित दिशानिर्देशों के अनुपालन में परिसंपत्तियों (वस्तुसूची) का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है। तथापि पत्तन कालापेक्षी / अचल मदों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा, इस संबंध में कोई लेखांकन समायोजन भी नहीं किया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य भंडार की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समापन स्टॉक का मूल्य रु..31.66 करोड़ था जबकि वित्तीय अभिलेखों के अनुसार रु.32.10 करोड़ था, इसके परिणामस्वरूप रु. 0.44 करोड़ का अंतर आया है। हालांकि, इसे प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

पत्तन ने सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से किया है।

(वी.एस.के.नम्पूदिरी) उप निदेशक

स्थान : मुंबई दिनांक : 17 सितंबर, 2018

1. Adequacy of internal audit system

The Internal Audit of the port for the year 2017-18 was entrusted at the end of the year (March 2018) to M/s. A. D. Anjikar & Co. Chartered Accountants. The Internal Audit Report is not yet received.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal conrol system of the Port requires strengthening in view of the following.

- (i) Bank Reconciliation Statement indicated several items pending adjustment for long period of time.
- a) Amount of Rs. 4.05 crore credited by Bank (291 items, pending from 21-11-2009 to 29-09-2017) but not identified in JNPT Bank Book
- b) Amount of Rs. 0.22crore credited in JNPT Bank book (50items, Pending from 21-7-2010 to 06-11-2017) but not in Bank Statement
- c) Amount of Rs. 0.40 crore (75 items, pending from 7-4-2003 to 28-09-2017) debited by Bank but not identified in JNPT Bank Book
- d) Amount of Rs. 2.17 crore (23items, pending from 14-3-2013 to 30-3-2017) debited in JNPT Bank Book but not identified in Bank statement.
- e) Cheques issued for amount Rs. 0.30 crore (36number, pending from 16-11-2011 to 28-09-2017) but not presented for payment by party. These stale cheques have not been reversed.

3. System of physical verification of Fixed Assets

There were no discrepancies observed in the Physical Verification Report of Fixed Assets for the year 2017-18.

4. System of physical verification of Inventory

The Port has not formulated any depreciation policy nor done any revaluation of assets (inventory) in compliance with the guidelines contained in the Common Framework for Finacial Reporting for Major Ports. Thought the port is in the process of identifying the slow/non-moving items, the same is yet to be completed. Further, no accounting adjustements have also been made in this regard.

As per the Physical Verification Report of main store for the year 2017-18, the value of closing stock as on 31March 2018 was Rs. 31.66 crore, whereas the financial records stated the same as Rs. 32.10 crore resuting in a difference of Rs. 0.44crore. However, the same was not included in the Physical verification report.

5. Regularity in payment of statutory dues

The port was regular in making payment of statutory dues.

Place - Mumbai Date 17 September 2018. (V S K Nampoodiry)
Deputy Director



अनुबंध / Annexure - II

भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के लेखों की समीक्षा

Review of accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust for the three years ended 31March 2018 by the Comptroller and Auditor General of India.

(लेखों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर विचार किए बिना की गई है) (The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations / comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. वित्तीय स्थिति / Financial Position

31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही : The Financial Position of Jawaharlal Nehru Port Trust under the broad headings for three years ended 31 March 2018 is given below.

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2015-16	2016-17	2017-18
क) देयताएँ/ LIABILITIES			
पूंजी आरक्षित / Capital Reserve	3608.32	3608.32	3608.32
अन्य आरक्षित / Other Reserves	3429.41	4327.34	5251.73
ऋण / Borrowings	41.32.	556.84	1819.85
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities	183.35	220.73	25.85
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान / Current Liabilities & Provisions	2643.80	3136.98	3811.52
योग / Total	9906.20	11850.21	14747.27
(ख) प्ररिसम्पत्तियाँ / (B) A ssets			
i) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / Net Fixed Assets	2392.65	2467.65	2548.99
ii) चालू कार्य / Works-in-Progress	240.48	384.80	1350.60
iii) निवेश / Investments	73.30	76.78	112.69
iv) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ ऋण और अग्रिम/Current Assets Loans and Advances	7166.14	8889.48	10700.39
v) आस्थगित कर परिसम्पत्ति / Deferred Tax Asset			
अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय Other Assets/Misc. Expenditure:			
i) नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड / Sheds handed over to BOT operator	33.63	31.50	34.60
ii) एस वी आर एस व्यय / SVRS Expenditure			
योग / Total	9906.20	11850.21	14747.27



(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2015-16	2016-17	2017-18
कार्यचालन पूंजी / Working Capital *	4522.34	5752.50	6888.87
निवल मूल्य / Net Worth **	7037.73	7935.66	8860.05
नियोजित पूंजी/Capital Employed ***	6914.99	822.15	9437.86
निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले) /Net Surplus (before appropriation)	718.91	879.56	952.16
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में) Return on Capital Employed **** (percentage)	10.40	10.70	10.09
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित) / Capital Employed (including Work -in-Progress)	7155.47	8604.95	10788.46
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (चालू कार्य सहित) (प्रतिशत में) i) Return on Capital Employed (including Work -in- Progress) (percentage)	10.05	10.22	8.83

- कार्यचालन पूंजी वर्तमान पिरसम्पत्तियों में से वर्तमान देयताओं को घटाकर निकाली गई राशि को दिखाती है ।
 Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities.
- मवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित में अधिशेष/ घाटे को जोडकर दिखाता है।
 Net Worth represents Capital Reserves and other Reserves Plus Surplus / deficit.
- *** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों के साथ कार्यशील पूंजी को दिखाती है। Capital Employed represents Net Fixed Asset plus Working Capital.
- *** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी पर निवल अधिशेष (विनियोजन के पूर्व) के प्रतिशत को दिखाता है । Return on Capital Employed represent percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed..



2. कार्यचालन परिणाम / Working Results

पत्तन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के कार्यचालन परिणाम सारांश रूप से नीचे दिए जा रहे हैं

The working results of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the last three years ending 31 March 2018 are summarized below

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2015-16	2016-17	2017-18
194017 I distouturo	2010-10	2010-17	2017-10
(क) राजस्व (A) Revenue			
(i) प्रचालन आय / Operating Income	1665.10	1700.97	1890.88
(ii) गैर प्रचालन आय / Non operating Income	319.60	461.46	345.46
योग ⁄ Total	1984.70	2162.43	2236.34
(ख) व्यय ∕ (B) Expenditure			
(i) प्रचालन व्यय / Operating Expenditure	693.12	804.97	751.24
(ii) गैर-प्रचालन व्यय / Non operating Expenditure	132.11	16.53	45.15
योग ∕Total	825.23	821.50	796.39
ग) असाधारण मदें / Extra ordinary items	72.85		
पूर्व अवधि प्रभार / Prior period charges	-5.00	-3.81	-2.31
कर से पहले निवल अधिशेष / Net surplus before tax	1091.62	1344.74	1442.26
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान / Less: Provision for Tax	333.96	428.04	455.11
जोड़ें / घटाएँ : आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ / Add/Less: Deferred tax liability/ assets	38.97	37.38	35.12
जोड़ें : कल्याण निधि और अव संरचना आरक्षित से आहरण Add: Withdrawn from Welfare Fund and Infrastructure Reserve	0.22	0.24	0.13
(घ) विनियोग से पहले निवल अधिशेष / Net surplus before appropriation	718.91	879.56	952.16
(ड) (घटाएँ : आज्ञापक विनियोग, आरक्षित निधियों आदि में स्थानांतरण आदि Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc.	227.54	210.54	247.02
(च) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा Surplus/Deficit transferred to General Reserve	491.37	669.02	75.14
(छ) निवल अधिशेष का निम्नलिखित से प्रतिशत : Percentage of net surplus to			
(i) प्रचालन आय / (i) Operating Income	43.18	51.71	50.36
(ii) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / (ii) Net Fixed Assets	30.05	35.64	37.35
(iii) निवल मूल्य /(iii) Net Worth	10.22	11.08	10.75
(घ) विनियोग से पहले निवल अधिशेष / Net surplus before appropriation (ड) (घटाएँ : आज्ञापक विनियोग, आरक्षित निधियों आदि में स्थानांतरण आदि Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc. (च) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा Surplus/Deficit transferred to General Reserve (छ) निवल अधिशेष का निम्निलिखित से प्रतिशत : Percentage of net surplus to (i) प्रचालन आय / (i) Operating Income (ii) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / (ii) Net Fixed Assets	227.54 491.37 43.18 30.05	210.54 669.02 51.71 35.64	24 ¹ 75 50 31



3. अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

पत्तन न्यास की परिसमापन तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों को नीचे दिखाया गया है : Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Port Trust are shown below:

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2015-16	2016-17	2017-18
क. वर्तमान देयताओं से वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित) (a) The percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	271.05	283.38	280.74
ख. वर्तमान देयताओं से शीघ्र परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (b) Percentage of Quick Assets to Current Liabilities		919.06	683.90
ग. प्रचालनीय आय से विविध देनदारों का प्रतिशत (c) Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	39.05	40.69	41.81
घ. पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत (d) Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	0.97	9.35	27.33
कर पूर्व लाभ का प्रतिशत : Percentage of profit before tax to:			
(क) निवल मूल्य / a) Net Worth	15.51	16.95	16.28
(ख) नियोजित पूंजी / b) Capital Employed	15.79	16.36	15.28
(ग) प्रचालनीय आय / c) Operating Income	65.56	79.06	76.27

(वी.एस.के.नम्पूदिरी / V S K Nampoodiry) उप निदेशक / Deputy Director

स्थान : मुंबई / Place - Mumbai

दिनांक : 17 सितंबर, 2018 /

Date 17 September 2018.



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर पत्तन का उत्तर⁄ की गई कार्रवाई

Port's Reply/Action Taken Notes for Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai for the year ended 31 March, 2018

बिंदु सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
A.1 क. 1. A 1.1 क. 1.1	तुलन-पत्र / Balance Sheet वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची-6)/ Current Assets, Loan and Advances (Schedule-6) निवेश पर प्रोव्धृत व्याज - रु. 198.02 करोड़ /Interest accrued on Investments ₹ 198.02 crore रोकड़ एवं वेंक शेष (राष्ट्रीयकृत वेंकों में सावधि जमा रसीदें)— रु. 4672.13 करोड़ /Cash and Bank Balance (including TDR with banks) - ₹ 4672.13 crore उपर्युक्त में ओरिएण्टल वेंक ऑफ कॉमर्स में (फरवरी, 2014 में) किए गए सावधि जमा की शेष गरिएण्टल वेंक और उस पर 31 मार्च, 2018 तक प्रोब्धृत रु. 38.98 करोड़ के ब्याज की राशि शामिल है । यह मामला क्योंक सीबीआई की अदालत में लंबित है और जनेप न्यास के पास रु. 67.59 करोड़ की सावधि जमा रसीद नहीं है, उसे रु. 67.59 करोड़ के सीदिग्ध निवेश तथा उस पर रु. 38.98 करोड़ के प्रोब्धृत व्याज के लिए प्रावधान करना चाहिए था। सिदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने के कारण लाभ को रु. 106.57 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया और परिणामस्वरूप पोकड़ एवं वेंक शेष रु. 67.59 करोड़ तथा निवेश पर प्रोब्धृत व्याज रु. 38.98 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है । The above includes an amount of ₹ 67.59 Crore being the balance amount of fixed deposit (deposited in February 2014) and interest accrued thereon up to 31 March 2018 amounting to ₹ 38.98 Crore pending receipt from Oriental Bank of Commerce (OBC). As the matter is pending in the CBI Court and JNPT did not have fixed deposit receipt/term deposit receipt from Criental Bank of Commerce (OBC). As the matter is pending in the CBI Court and JNPT did not have fixed deposit receipt/term deposit receipt from Oriental Bank of Commerce (OBC). As the matter is pending for doubfful investment to verstatement of profit by ₹ 106.57 crore, and consequent has resulted in overstatement of profit by ₹ 106.57 crore, and consequent has resulted in overstatement of profit by ₹ 106.57 crore, and consequent has resulted in overstatement of profit by ₹ 106.57 crore, and consequent has resulted in overstatement of profit by ₹ 106.57 crore, and consequent has resulted in overstatement of profit by ₹ 106.57 crore, and consequent has seven as a set a fait and a fait fait and refer ha	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने अपनी देयता से इनकार नहीं किया है जबकि कह है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा । मामला निर्णयाधीन है। OBC has never denied its liability and in fact stated that it wil follow the directions of Court. The matter is sub-judice. JNPT has taken all the steps to recover the amount including complaint to RBI and Banking Ombudsman. Further, JNPT filed acase in National Consumer Disputes Redressal Commissior (NCDRC) on 5° October, 2016 for recovery of principal and interest thereon from OBC. In the hearing on 2° April, 2018 NCDRC had directed both JNPT and OBC to file respective Affidavits of evidences and the same has been filed by both JNPT & OBC. Next date for hearing has been fixed on 13° March, 2019. जनेप न्यास ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंकिंग लोकपाल के पास शिकाय करने पार्टीय उपभोकता विवाद निपटान आयोग में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कंप्स ने सहित यहुल करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। जनेप न्यास राष्ट्रीय उपभोकता विवाद निपटान आयोग में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों को साक्ष्यों के संबंधित शपथपत्र वायर करने का निर्देश दिया था, उसवे अनुसार जनेप न्यास तथा औरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों को साक्ष्यों के संबंधित शपथपत्र वायर करने का निर्देश दिया था, उसवे अनुसार जनेप न्यास तथा औरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों ने उकत शपथपः वायर किए हैं। अगली सुनवाई 13 मार्च, 2019 को निर्धारित की गई है। AS 9 states that "An essential criterion for the recognition o revenue is that the consideration receivable for sale of goods rendering of services or from the use by others of enterprise resources is reasonably determinable." The principal amount and interest amount recoverable from OBC are reasonably determinable. Therefore, Port has correctly recognized revenue as per AS 9. Based on the legal opinion from Law Firm, Port interest accrued on investment and no overstatement of profit लेखांकन मानक 9 में कहा गया है कि, 'राजस्व की मान्यता के लिए अनिवार्य मार्च करने पार प्राप्त होने वाला मूल्य उपमुक रूप से निर्वार मानक 9 के अनुसार राजस्व करने पार प्राप्त होने वाला मूल्य उपमुक रूप से निर्वार करने वा अन्य करा से कहा वा मू



खंण्ड सं.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ
Point No.	Particulars	Port's reply/Action Taken Notes
		यह देखा जा सकता है कि प्रबंधन ने राशि को वसूल करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में मामला दायर करने, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता की नियुक्ति तथा शीघ्र वसूली के लिए सतर्कता/केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ संपर्क जैसे सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। It can be seen that Management has taken all required steps for recovering the amount like filing the case with NCDRC, engaging Sr. Council of Supreme Court, and also follow up with Vigilance/CBI for early recovery.
	बैंकों में रोकड़ — रु.41.85 करोड़ Cash at Bank -₹41.85 crore	
	उपर्युक्त में 'वसूली के लिए चेक भेजे गए लेकिन अभी राशि जमा नहीं हुई' नामक स्वतंत्र शीर्ष के तहत दिखाए गए रु.9,49,868 शामिल हैं । इसे वर्ष 2010-11 से दिखाया जा रहा है किन्तु, पत्तन के पास इस बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी । The above includes ₹ 9,49,868 shown under separate head of account namely "Cheques sent for collection but not yet cleared". This is being shown since 2010-11 and further details were not available with the Port. जानकारी के अभाव में लेखा परीक्षा व्यारा शेष रोकड़ की यथातथ्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। In the absence of details, the correctness of cash balance could not be vouchsafed by audit.	रु. 9,49,868/- राशि के कुल 57 मदों में से रु. 2,23,206/- राशि की 22 मदों की पहचान की गई है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएगी। Out of total 57 items amounting to Rs.9,49,868/-, 22 items have been identified amounting to Rs.2,23,206/- and necessary entries will be passed in current financial year.
	विविध ऋण – रु.7 9 0.5 0 करोड़ (अनुसूची 6) Sundry Debtors-₹ 790.50 crore (Schedule 6)	
	पत्तन न्यासों की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसार सदोष तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने हेतु लेखाकरण नीति के अभाव में लेखा परीक्षा विवध देनदारों की राशि की सटीकता और लाभ के परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। As per the Common Framework of Financial Reporting for Ports, a provision for bad and doubtful debts should be created and deducted from Sundry Debtors. In the absence of accounting policy for provision for bad and doubtful debts, audit is unable to comment on the correctness of the amount of Sundry Debtors and its impact on Profit.	इस मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दि. 11 मई, 2018 के पत्र के संबंध में पोत-परिवहन मंत्रालय के निर्देशों की प्रतीक्षा है। अतः वर्तमान स्थिति में पोत-परिवहन मंत्रालय से दि. 06.11.2002 को जारी पत्र सं. पीआर-20031/2/98-पीजी अभी भी मान्य है की किसी भी समय सीमा के बावजुद किसी भी ऋण को सदोष नही माना जाएगा और भारत सरकार के दिशनिर्देशें का पालन किया जना चिहए। Directives on this issue from MoS on the CAG's letter dtd. 11 th May, 2018 are still awaited. Hence, in the present situation letter issued by MoS vide ref. No.PR-20031/2/98-PG dtd.06.11.2002 still prevails that no debt shall be considered bad irrespective of any time limit and guidelines issued by Govt. of India are to be followed to make provision. पत्तन विविध देनदारों का बिलिमोरिया रिपोर्ट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के साझा फ्रेमवर्क के अनुसार ऋण की समय सीमा के आधार पर अर्थात 6 माह से कम पुराना तथा 6 माह से अधिक पुराना के अनुसार विश्लेषण करता है । i) 0 से 6 माह तक ii) 1 वर्ष से 2 वर्ष तक iii) 1 वर्ष से 2 वर्ष तक iii) 2 वर्ष से अधिक Port carries out age-wise analysis of Sundry Debtors as per the common framework for financial reporting prescribed by Billimoria Report i.e. less than 6 months old and more than 6 months old. Age-wise analysis in the following format has been furnished to Audit: i) 0 to 6 months ii) 6 months to 1 year iii) 1 year to 2 years iv) More than 2 years



3मर्नुक में सीबाशुक्क विभाग पर वर्ष 2005 से 2008 तक का मूर्ग किराया (ह.3.02 करोड़) के संबंध में कहार कर कराव (कर्ष 2013 तक वान किया गया 8.2.38 करोड़) के संबंध में कहार करोड़ हमारित हैं। बनेप न्यास और सीमाशुक्क विभाग के बीच हम बारे में केंद्र करार ने होने के सारण सीमाशुक्क विभाग ने इस बारे का विदेश किया है। बकाया थिश की सुन्त होने के सारण सीमाशुक्क विभाग ने इस बारे का विदेश किया है। बकाया थिश की सुन्त होने के सारण उसका प्राथम किया जा चाहिए था। इसके लिए प्राथमन ने होने कराण विनय देनतारों को नाव्य लाभ को र.5.40 करोड़ से बढ़ाकर दिखाना गया है। The above includes an amount of ₹ 5.40 crores outstanding from custom department towards the ground rent (₹3.02 crores) for the period 2005 to 2008 and penal interest thereon (₹2.36 crores claimed upto 2013). As there was no formal agreement executed between JNPT and Customs Department and the department as disputed the claim, the recoverability of dues is not certain and should therefore have been provided for Norphovision of the same resulted in overstalement of Sundry Debtors and Profit by ₹ 5.40 crore. Post	खंण्ड सं. Point	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
As stated above, Outstanding Dues of Rs. 5.40		तथा उस पर दण्डस्वरूप ब्याज (वर्ष 2013 तक दावा किया गया रु.2.38 करोड़) के संबंध में बकाया रु.5.40 करोड़ शामिल है । जनेप न्यास और सीमाशुल्क विभाग के बीच इस बारे में कोई करार न होने के कारण सीमाशुल्क विभाग ने इस दावे का विरोध किया है । बकाया राशि की वसूली अनिश्चित होने के कारण उसका प्रावधान किया जाना चाहिए था । इसके लिए प्रावधान न होने कारण विविध देनदारों को तथा लाभ को रु.5.40 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया है। The above includes an amount of ₹ 5.40 crores outstanding from custom department towards the ground rent (₹3.02 crores) for the period 2005 to 2008 and penal interest thereon (₹2.38 crores claimed upto 2013). As there was no formal agreement executed between JNPT and Customs Department and the department has disputed the claim, the recoverability of dues is not certain and should therefore have been provided for. Non-provision of the same resulted in overstatement of Sundry Debtors and	1. पत्तन ने मंडल के दि. 23/07/1999 संकल्प सं. 624 के अनुसार सीमाशुल्क विभाग के विरुद्ध भूमि किराया के बीजक बनाए हैं । मंडल के संकल्प की प्रतिलिपि पहले ही लेखा परीक्षा को प्रस्तुन की जा चुकी है । पत्तन ने महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टैम्प) द्वारा अनुमादित प्रचलित दरमानों के अनुसार दण्ड ब्याज के भी बीजक बनाए हैं । Port has raised ground rent invoices on customs as per Board Resolution No.624 dt.23/07/1999. Copy of the Board Resolution has already been submitted to Audit. Port has also raised invoices in respect of penal interest as per the prevailing scale of rates approved by TAMP. 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रु. 5.40 करोड़ की राशि बकाया दिखाई गई है तथा तुलन पत्र में इसे 'निवल विविध देनदार' शीर्षक के तहत दिखाया गया है। In view of the above, Rs. 5.40 crores has been shown as outstanding and it appears under head 'Net Sundry Debtors' in Balance Sheet. 3. भूमि किराए की वसूली से संबंधित मामले पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा वाद किया गया था। अतः जनेप न्यास ह्वारा मामले को भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) के पास भेजा गया था। आईपीए से प्राप्त कानूनी राय नीचे दी गई है: The matter regarding recovery of Ground Rent from Custom Dept., was disputed by Customs Dept., Therefore the matter was referred to Indian Port association (IPA) by JNPT. The Legal opinion obtained/ received from IPA is reproduced below: क) यदि सीमाशुल्क विभाग द्वारा होरा किया गया कब्जा अवैध पाया जाता है तो सीमाशुल्क विभाग पत्तन को प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। a) If detention is found illegal Custom Dept. is liable to pay the Dwell Time Charges to Port. ख) यदि माल को सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्ब कर लिया गया हो तो सीमाशुल्क विभाग पत्तन को विराम समय प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। b) If goods are confiscated by Custom Dept., Customs Dept., is liable to pay Dwell Time Charges to Port. उपर्युक्त के आधार पर सीमाशुल्क के विरुद्ध भूमि किराए का पत्तन का त्वा वैध है। Based on above, Port claim of Ground Rent Invoices raised on Customs are legitimate claim. औसा कि उपर कहा गया है सीमाशुल्क विभाग पर बकाया रु. 5.40 करोड़ को 'विविध द
(iii) उपर्युक्त में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से की गई सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती के संबंध में पत्तन द्वारा मेसर्स एनएसआईसीटी (बीओटी प्रचालक) पर किए गए अतिरिक्त दावे संबंध में मेसर्स एनएसआईसीटी से वसूली करने का विवाचन व की रु.20.67 करोड़ राशि शामिल है । The above include an amount of ₹ 20.67 crore being the excess claim raised on M/s. NSICT (BOT Operators) by the Port towards the cost of additional deployment of security personnel by CISF Office. 2. विवाचन के निर्णय के अनुसार वित्त वर्ष 2004-5 से 20		के संबंध में पत्तन द्वारा मेसर्स एनएसआईसीटी (बीओटी प्रचालक) पर किए गए अतिरिक्त दावे की रु.20.67 करोड़ राशि शामिल हैं। The above include an amount of ₹ 20.67 crore being the excess claim raised on M/s. NSICT (BOT Operators) by the Port towards the cost of additional	संबंध में मेसर्स एनएसआईसीटी से वसूली करने का विवाचन का निर्णय दि. 30 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुआ । Port has received Arbitration Award on 30 th Sept 2011 w.r.t



खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
	इससे विविध देनदारों तथा लाभ को उक्त राशि तक बढ़ाकर दिखाया गया है । This has led to overstatement of Sundry Debtors and Profit by the same amount.	लेखा परीक्षित लागत पत्र प्रस्तुत करने के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया था । As per Arbitration award, Auditor was appointed to submit Audited Cost Sheet for the FY 2004-05 to 2012-13.
		3. लेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2004-05 से 2012-13 के लिए कें.औ.सु. बल का लेखा परीक्षित लागत पत्र दि. 30.03.2015 को प्रस्तुत किया है। Auditor has submitted audited Cost Sheet of CISF expenditure for the FY 2004-05 to FY 2012-13 on 30.03.2015.
		तदनुसार पत्तन ने लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लागत पत्र के आधार पर कें.औ.सु.बल के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मेसर्स एनएसआईसीटी को बीजक भेजा है। Accordingly Port has raised Invoices for reimbursement of CISF
		Expenditure to M/s NSICT based on Cost sheet submitted by Auditor.
		4. मेसर्स एनएसआईसीटी ने दि. 30/09/2016 तक के सभी बकायों का दि. 13/10/2016 को भुगतान किया है । M/s NSICT has cleared all the outstanding Dues up to 30/09/2016 on 13.10.2016.
		5. इसी दौरान कें.औ.सु.बल ने वित्त वर्ष 2004-05 से 2014-15 तक अपने कर्मियों की तैनाती का संशोधित पैटर्न दि. 13/06/2016 को जारी किया । तदनुसार पत्तन ने रु. 20.67 करोड़ का अंतर बीजक मेसर्स एनएसआईसीटी को दि. 12/10/2016 को भेज दिया । In the meantime, CISF has issued a revised deployment pattern of CISF Personnel for the FY 2004-05 to FY 2014-15 on 13/06/2016. Accordingly Port has raised Differential Invoice of Rs. 20.67 Crore on M/s NSICT on 12/10/2016.
		6. बाद में वरिष्ठ कमाडेंट, कें.औ.सु.बल ने दि. 13/10/2016 को जारी किया गया वित्त वर्ष 2004-05 से 2014-15 का तैनाती का संशोधित पैटर्न दि. 9/4/2018 को वापस ले लिया तथा कें.औ.सु.बल के कर्मियों की तैनाती का पुराने प्राक्कलन का संदर्भ लेने का निर्देश दिया । Subsequently on 09/04/2018, Sr. Commandant, CISF has withdrawn the Revised Deployment pattern of CISF personnel for the FY 2004-05 to FY 2014-15 issued on 13.10.2016 and directed to refer old estimates of CISF Personnel Deployment Schedules.
		7. तदनुसार पत्तन ने मेसर्स एनएसआईसीटी को दि. 12/10/2016 को भेजे गए अंतर बीजक को वापस लेने के कारण दि. 19/06/2018 को रु. 20.67 करोड़ का क्रेडिट नोट जारी किया है। Accordingly Port has issued Credit Note of Rs. 20.67 Crore on 19/06/2018 to M/s NSICT on account of reversal of Differential Invoice raised on M/s NSICT on 12/10/2016.
		केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिए गए ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए पत्तन के वित्त वर्ष 2018- 19 के विविधि देनदार कम हो गए हैं। In view of the clarification provided by CISF during current Financial Year as mentioned above, Port Sundry Debtors have been reduced in the FY 2018-19.





खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
ख. B ख.1 B.1 B.1.1	लाभ और हानि लेखा Profit and Loss Account आय Income सम्पदा किराया Estate Rentals भूमि का किराया - रु. 104.51 करोड़ (अनुसूची -11) Rent on Land -₹104.51 crore (Schedule-11) इसमें वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए जनेप न्यास भूमि से गुजरनेवाली पाइपलाइनों के लिए ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देय का "वे लीव प्रभार तथा पट्टा किराया" के रु. 7.37 करोड़ शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरुप वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अश्रिम को कम करके दिखाया गया है और लाभ को रु. 7.37 करोड़ से कम करके दिखाया गया है। This does not include ₹7.37 crore being the "Way leave charges and lease rent", due for the period 2017-18 from ONGC and BPCL for pipelines passing through JNPT land. This has resulted in understatement of Current Assets Loan, Advances and understatement of Profit by ₹7.37 crore. इस मुद्दे को वर्ष 2016-17 के दौरान भी उठाया गया था लेकिन अभी तक निवारणात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। This issue was raised during 2016-17 also; however, no corrective action has been taken yet.	तथा भूमि किराया रु. 4.65 करोड़ देव है। इसमें करार करने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष में जनवरी से मार्च, 2018 की अवधि के बीजक के 1.27 करोड़ शामिल हैं।
ख.1.2 B.1.2	बीओटी ठेकों से आय - रु. 789.39 करोड़ (अनुसूची - 12) Income from BOT Contracts: ₹789.39 Crore (Schedule 12)	
	उपर्युक्त में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से 265.95 करोड़ का राजस्व हिस्सा, न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) से रु. 114.63 करोड़ न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) से रॉयल्टी आय का रु. 202.72 करोड़ और भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल लि. (बीएमसीटी) से रु. 5.75 करोड़ का राजस्व हिस्सा मिलाकर कुल रु. 589.05 करोड़ शामिल है। The above includes ₹589.05 crore being revenue share of ₹265.95 crore from Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL), ₹ 114.63 crore from NhavaSheva (India) Gateway Terminal (NSIGT), royalty income of ₹202.72 crore from NhavaSheva International Container Terminal (NSICT) and revenue share of ₹ 5.75 crore from Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited (BMCT).	पत्तन के पास बीओटी प्रचालकों के लिए राजस्व हिस्सेदारी के दो मॉडल है। Port has two Revenue Share models for BOT Operators 1. मेसर्स जीटीआईपीएल, मेसर्स एनएसआईजीटी तथा मेसर्स बीएमसीटीपीएल के मामले में राजस्व हिस्सेदारी मॉडल और Revenue Share Model in case of M/s.GTIPL, M/s.NSIGT & M/s.BMCTPL and 2. मेसर्स एनएसआईसीटी के मामले में प्रति टीईयू रायल्टी । Royalty per TEU model in case of M/s.NSICT.
	जीटीआईपीएल, एनएसआईजीटी तथा बीएमसीटी के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार पत्तन के पास बीओटी प्रचालकों के राजस्व, वित्तीय विवरणों आदि की लेखापरीक्षा और सत्यापन करने लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षक नियुक्त करने का विकल्प था। As per the License Agreement with GTIPL, NSIGT and BMCT, the Port has the option to appoint an additional auditor to audit and verify revenue, financial statements etc., of the BoT operators.	राजस्व हिस्सेदारी Revenue Share मेसर्स जीटीआईपीएल, मेसर्स एनएसआईजीटी तथा मेसर्स बीएमसीटीपीएल के मामले में राजस्व हिस्से के लेखांकन तथा सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। In case of M/s.GTIPL, M/s.NSIGT& M/s.BMCTPL following





	MICH तेहरू पत्तन न्यास ARLAL NEHRUPORT TRUST	वार्षिक लेखा एवं लेखा-परी ANNUAL ACCOUNTS & AUDIT F
खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत का Port's reply/Action T
	इस संदर्भ में यह पाया गया था किः In this context it was observed that: पत्तन के लेखों के साथ-साथ लेखों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष सभी बीओटी प्रचालकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती थी, पर पत्तन के पास वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि प्रबंधन ने कहा था कि यदि लेखा परीक्षकों द्वारा राजस्व अंश में कोई कमी इंगित की गई तो उसे आगामी वर्ष में वसूल कर लिया गया है, इसे जीटीआईपीएल के संबंध में सही नहीं पाया गया जहाँ रु.2738.50 लाख (वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक के लिए) की वसूली लंबित थी जबिक यह मामला न्यायालय में था। इसी तरह एनएसआईजीटी से वर्ष 2016-17 के लिए रु.0.16 लाख की वसूली लंबित थी। The audit report of all BoT operators were being finalised every year after the finalisation of accounts as well as audit of the accounts of the Port and as such, audit reports for the year 2017-18 were not available with the Port. Though the Management stated that the shortfalls, if any, in revenue share as pointed out by Auditors are recovered in the subsequent year, it was not correct in respect of GTIPL where a sum of ₹2738.50 lakh (for the period 2011- 12 to 2016-17) was pending recovery and the same was under arbitration. Similarly, sum of ₹0.16 lakh for the period 2016-17 was pending recovery from	procedure is followed for accounting of Reverification of the same: 1. पत्तन छूट करार के अनुसार बीओटी प्रचाल जीटीआईपीएल, मेसर्स एनएसआईजीटी तथा मेसर्स राजस्व का हिस्सा संकलित करता है। Port collects revenue share as per Concession BOT operator namely M/s.GTIPL, M/s.NSIGT& 2. पतत्म को छूट करार की शर्तों के अनुसार बीओटी प्रहिस्सा प्रतिमाह निर्धारित तारीख को या उसके पहले प्राप्त उसे पत्तन के लेखों में लेखांकित किया जाता है। Every month port receives revenue share operators on or before due date as per the ten Agreement. This is then accounted in books of accounted i
	NSIGT also. लेखापरीक्षित विवरण न होने के कारण जनेप न्यास द्वारा लेखा बहियों में दशाई गई रु. 589.05 करोड़ के राजस्व हिस्से / रॉयल्टी की यथातथ्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। In the absence of audited statements, the veracity of revenue share/royalty of ₹ 589.05 croreas reflected in the books of accounts of JNPT could not be vouchsafed. (इस मुद्दे को वर्ष 2016-17 के दौरान में भी उठाया गया था लेकिन अभी तक निवारणात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।) (This issue was raised during 2016-17 also; however, no corrective action has been taken yet.)	गई राजस्व हिस्सेदारी का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र मेसर्स एम.एम. निस्सीम एण्ड कं. तथा मेसर्स हरिभक्ति ए भी नियुक्त किया है । मेसर्स बीएमसीटीपीएल ने 23 अपना प्रचालन आरंभ किया है । मेसर्स बीएमसीटीपीएल का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की निय् जारी हे । JNPT has also appointed Independent Audito Nissim& Co. and M/s.Haribhakti& Co. LLP to ve paid by M/s.GTIPL& NSIGT respectively. I started its operations on 23 rd December, 2017. of Independent Auditor to verify revenue share on process.

तर्रवाई टिप्पणियाँ Taken Notes

evenue Share and

लकों से यथा मेसर्स बीएमसीटीपीएल से

on Agreement from & M/s.BMCTPL.

प्रचालकों से राजस्व का त होता है । उसके बाद

from these BOT erms of Concession accounts of Port.

ईसीटी द्वारा भुगतान की ं लेखा परीक्षक क्रमशः एण्ड कं. एलएलपी को 3 दिसम्बर, 2017 से ल के राजस्व हिस्सेदारी ायुक्ति करने की प्रक्रिया

tors like M/s. M.M. erify revenue share M/s.BMCTPL has . The, appointment of M/s. BMCTPL is

(i) स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रेक्षणों के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी की कमी, यदि कोई हो तो, को बीओटी प्रचालकों से आगामी वर्ष में वसूल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं ।

Based on the observations of Independent Auditors, necessary steps are taken for recovery of shortfall if any in revenue share, from BOT Operators in subsequent year.

(ii) बीओटी प्रचालक छूट करार के प्रावधानों के अनुसार भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ।

These BOT operators also submit audit report as per the provisions of Concession Agreement.

- (iii) वर्ष 2016-17 की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स जीटीआईपीएल की ओर से देय बकाया रु.27.38 करोड़ के संबंध मामला विवाचन के लिए भेजा गया है।
- iii) The matter with respect to outstanding dues of INR 27.38 crores of M/s.GTIPL based on the independent audit report for FY 2016-17 is under arbitration.

दि.25/09/2018 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई थी जिसमें विवाचन अधिकारियों ने दोनों पार्टियों को रु.37.85 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि के दावे के विवरण के बारे में साक्ष्यों के संबन्धित शपथ पत्र जनेप न्यास द्वारा 06.11.2018 को या उसके पहले और मेसर्स जीटाआईपीएल द्वारा दि.04.12.2018 को या उसके पहले दायर करने का निर्देश दिया ।

A personal hearing was held on 25.09.2018 whereby Arbitrators have directed both the parties may desire to file affidavit of evidences on statement of claim for an amount of





खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
		INR 37.85 crores (including interest) by JNPT on or before 06.11.2018 and by M/s.GTIPL on or before 04.12.2018.
		अगली सुनवाई दि.5 जनवरी, 2019 तथा 19 जनवरी, 2019 को होगी और तदनुसार विवाचन अधिकारियों द्वारा दावे के विवरण के बारे में निर्देश जारी किए जाएंगे। The next hearing will be held on January 5, 2019 and January 19, 2019 and directions regarding statement of claim will be passed accordingly by arbitrators.
		every financial year. इसलिए पत्तन का बीओटी प्रचालकों से रायल्टी/राजस्व हिस्सेदारी वसूल करने पर पर्याप्त नियंत्रण है तथा सभी लेन देन लेखा बहियों परिलक्षित हुए हैं। Thus Port has adequate control in recovering Royalty/Revenue Share from BOT operators and all transactions are reflected in
		books of accounts.





खंण्ड सं.	विवरण Particular	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ
Point No.	Particulars	Port's reply/Action Taken Notes
ग	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 25)	
c.	Notes on Accounts for the year ended 31 March 2018 (Schedule-25)	
	•	
	(i) जनेप न्यास ने इंडियन एज्युकेशन सोसायटी को उनके व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम	जनेप न्यास करार के अनुसार इंडियन एज्युकेशन सोसायटी को उनके व्यय को पूरा
	का भुगतान किया था । भुगतान किए गए अग्रिम के आधार पर अग्रिम तथा व्यय के लिए	करने के लिए मासिक रूप से भुगतान कर रहा है तथा उसे अग्रिम भुगतान में दिखाया जाता है। इंडियन एज्यूकेशन सोसायटी द्वारा पहले ही लेखों को प्रस्तुत
	प्रावधान रु.7.95 करोड़ (2015-16 से 2017-18 तक) था।	दिखाया जाता है। इंडियन एज्यूकेशन सोसायटी द्वारा पहले ही लेखों को प्रस्तुत
	(i) JNPT made advance payments to the Indian Education Society (IES) for	किया गया है। वर्ष 2014-15 तक के सभी लेखों का निपटान किया गया है। यह भी कहा जाता है कि जनेप न्यास ने आईईएस के व्यय का सत्यापन करने के लिए
	meeting its expenses. Advances and the provision for expenses based on the advances paid, amounted to ₹ 7.95 crore (2015-16 to 2017-18).	मा कहा जाता है कि जनप न्यास ने आइइएस के व्यय का सत्यापन करने के लिए सनदी लेखाकार कंपनी नियुक्त की है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिमों के समायोजन
	,	के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएगी । यह भी कहा
	चूँकि इंडियन एज्युकेशन सोसायटी के लेखा परीक्षित लेखे पत्तन के पास उपलब्ध नहीं थे	जाता है कि वर्ष के अंत में भुगतान किए गए अग्रिमों के विरुद्ध देयता का भी निर्माण
	जिसके कारण अग्रिमों तथा प्रावधानों का समायोजन नहीं हुआ। इस तथ्य को लेखों पर टिप्पणी	किया जाता है । अतः वर्तमान परिस्पित्तियों, ऋण तथा अग्रिमों को बढ़ाकर नहीं
	में स्पष्ट किया जाना चाहिए था।	दिखाया गया है तथा वर्तमान देयता और प्रावधान रु. ७.९५ करोड़ है ।
	As the audited accounts of IES were not available with the Port, the advance and provision remained unadjusted. This fact should have been disclosed in	As per the Agreement JNPT is making payment to IES on monthly basis to meet the expenditure and the same is shown as advance
	the Notes to Accounts.	payment. The accounts have already been submitted by IES. All the accounts are settled upto 2014-15. It is also submitted that
	इस मुद्दे को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान में भी उठाया गया था लेकिन अभी	JNPT has appointed Chartered Accountant firm for further
	तक निवासत्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	verification of expenditure with respect to IES. On receipt of reports necessary entries will be passed during the current
	This issue was raised during 2015-16 and 2016-17 also; however, no	financial year for adjustment of advances. It is also submitted at the year end the liability is also created against the advance paid.
	corrective action has been taken yet.	Hence, there is no overstatement of Current Assets, Loan and Advances and Current Liabilities and Provisions Rs. 7.95 crore.
	(ii) लेखाकरण मानक 15 (कर्मचारी लाभ) के अनुसार जहां सेवानिवृत्ति लाभों की देयताओं	
	का वित्त पोषण एक न्यास का निर्माण करके किया गया था, वर्ष के दौरान किए गए खर्च को	
	बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाएगा और नियोक्ता द्वारा बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट	
	द्वारा निर्दिष्ट अंशदान को लाभ एवं हानि खातों में दिखाया जाएगा।	दिशानिर्देशों के कारण उसमें परिवर्तन हुआ है।
	(ii) As per Accounting Standard 15 (Employee Benefits) where the liability for	The Port is fully compliant on Gratuity Fund for JNPT employees till February 2018 and change has happened due to Government of
	retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation and the contribution	India directions dated 29 th March, 2018.
	payable by the employer as specified by the Actuary's Valuation Report shall be charged to the statement of Profit and Loss Accounts.	
	be charged to the statement of Front and Loss Accounts.	एलआईसी का भुगतान प्रतिवर्ष 31 मार्च के पहले करना होता है। बीमांकिक मूल्यांकन की गणना के लिए जेएनपीटी को वर्तमान आँकड़े एलआईसी को भेजने
	उपदान निधि के लिए 31 मार्च, 2018 तक 92.74 करोड़ की निधि की आवश्यकता थी जिसका	की आवश्यकता है । इसलिए बीमांकिक मूल्यांकन के लिए जनवरी, 2018 के
	बीमांकिक मूल्यांकन उपदान की रु.10 लाख की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए किया गया	वेतन का डेटाबेस एलआईसी को फरवरी माह में भेजा था । मार्च महीने में मूल्यांकन
	था । भारत सरकार द्वारा दि.29 मार्च, 2018 को उपदान की अधिकतम सीमा में संशोधन करके	प्राप्त हुआ तथा निर्धारित तारीख (31 मार्च, 2018) के पहले भुगतान किया गया।
	रु.10 लाख से रु. 20 लाख की गई है । क्योंकि रु.20 लाख की संशोधित अधिकतम सीमा को	The payment of LIC is required to be made before 31st March every year. In order to calculate the actuarial valuation, JNPT is required to
	ध्यान में रखा नहीं गया था, इसके कारण वर्ष के लिए उपदान देयता की राशि उचित नहीं है । With respect to the Gratuity Fund, fund requirement as on 31 March 2018 was	send the current data to LIC. Therefore, the data base of the salary
	₹ 92.74 crore which was assessed as per Actuarial valuation considering	for the month of January, 2018 was sent to LIC in February to get the actuarial valuation. The valuation is received in the month of March
	gratuity ceiling of ₹ 10 Lakh. The ceiling rate for gratuity was revised from ₹ 10 Lakh to ₹ 20 lakh by the Government of India on 29 March 2018. Since, the	and the payment is done before the due date (i.e. 31st March, 2018).
	revised ceiling of ₹20 lakh was not considered, the assumptions taken to arrive	 भारत सरकार ने दि. 29.03.2018 की अधिसुचना द्वारा उपदान संदाय
	at the liability for Gratuity for the year is not correct.	भारत सरकार न । ५. २५.०५.२०।४ का आवसूचना द्वारा उपदान सदाय अधिनयम, १९७२ में संशोधन करके उपदान संदाय की अधिकतम सीमा को
	 विवरणों के अभाव में वर्ष 2017-18 के लिए उपदान निधि की देयता में कमी को निर्धारित	बढ़ाकर दि. 29.03.2018 से अर्थात एलआईसी की ओर से बीमांकिक मूल्यांकन
	नहीं किया जा सका।	प्राप्त होने के बाद रु. 10 लाख से रु. 20 लाख कर दिया । फिर भी पोत परिवहन
	The amount of shortfall in liability towards Gratuity Fund for the year 2017-18	मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त आदेशों के अनुसार उपदान का भुगतान अधिकतम
	could not be quantified for want of details.	सीमा तक ही सीमित है । उपदान के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय से आदेश प्राप्त होने के बाद/वेतन संशोधन करार के अनुसार इस मामले में कार्रवाई की जाएगी ।
		यह पत्तन में निरंतर अपनाए जा रही परिमाही के अनुसार है।
		vernment of India vide its Notification dated 29.03.2018 amended the
		Payment of Gratuity Act, 1972 increasing the maximum limit of payment of Gratuity from Rs. 10 lakhs to Rs. 20 lakhs w.e.f. 29.03.2018
		i.e. after the actuarial valuation received from LIC. However, the payment of Gratuity is restricted to the maximum limit as per the Orders
		of the Ministry of Shipping received from time to time. After receipt of
		orders from Ministry of Shipping in respect of Gratuity/as per Wage Revision Agreement necessary action will be taken in the matter. This
		is as per practice consistently followed in the Port.



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध — I / Annexure-I to Audit Report

खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ⁄ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
1	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता Adequacy of internal audit system वर्ष 2017-18 के लिए पत्तन की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य वर्ष के अंत में (मार्च 2018) मेसर्स ए.डी.अंजीकर एण्ड कंपनी को सौंपा गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। The Internal Audit of the Port for the year 2017-18 was entrusted at the end of the year (March 2018) to M/s. A. D. Anjikar& Co. Chartered Accountants. The Internal Audit Report is not yet received.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पैनल में से आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की
2.	अांतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता Adequacy of Internal Control System निम्निलिखित कारणों से पत्तन की आंतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता हैं: Internal control system of the Port requires strengthening in view of the following: बैंक समाधान विवरण में लंबी समयाविध के लिए समायोजित लंबित कई मदों की पहचान की गई । Bank Reconciliation Statement indicated several items pending adjustment for long period of time. बैंक द्वारा रु. 4.05 करोड़ की राशि जमा की गई (दि.21/11/2009 से 29/09/2017 तक लंबित 291 मदें) किन्तु जनेप न्यास के बैंक बही में उसकी पहचान नहीं की गई । (a) Amount of ₹ 4.05 crore credited by Bank (291 items, pending from 21/11/2009 to 29/09/2017)but not identified in JNPT Bank Book ख) रु. 0.22 करोड़ की राशि जनेप न्यास बैंक बही में जमा की गई (दि.21/07/2010 से 06/11/2017 तक लंबित 50 मदें) किन्तु बैंक विवरण में शामिल नहीं है। (b) Amount of ₹ 0.22 crore credited in JNPT Bank book (50 items, Pending from 21/7/2010 to 06/11/17)but not in Bank Statement ग) बैंक द्वारा रु. 0.40 करोड़ की राशि आहरित की गई (दि.7/4/2003 से 28/09/2017 तक लंबित 75 मदें) किन्तु जनेप न्यास के बैंक बही में उसकी पहचान नहीं की गई। © Amount of ₹ 0.40 crore (75 items, pending from 7/4/2003 to 28/09/2017)debited by Bank but not identified in JNPT Bank Book घ) जनेप न्यास बैंक बही में रु. 2.17 करोड़ की राशि आहरित दिखाई गई (दि.14/3/2013 से 30/3/2017 तक लंबित 23 मदें) किन्तु बैंक विवरण में उसकी पहचान नहीं की गई। (d) Amount ₹ 2.17 crore (23 items, pending from 14/3/2013 to 30/3/2017) debited in JNPT Bank Book but not identified in Bank statement च) रु.0.30 करोड़ की राशि का चेक जारी किया गया (दि.16/11/2011 से 28/09/2017 तक लंबित 36 मदें) किन्तु पार्टी द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इन पुराने चेकों को लौटाया नहीं गया। (e) Cheques issued for amount ₹ 0.30 crore (36 number, pending from 16/11/2011 to 28/09/2017) but not presented for payment by party. These stale cheques have not been reversed.	में समाधान किया जा चुका है । With regard to (c) out of Rs.0.40 crores an amount of Rs. 0.02 crores have been reconciled in the current Financial Year (घ) के संदर्भ में यह कहा जाता है कि रु.2.17 करोड़ में से रु. 1.91 करोड़ का वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाधान किया जा चुका है तथा आवश्यक प्रविष्टियाँ भी की गई हैं । With regard to (d), it is submitted that out of Rs. 2.17 crores, an amount of Rs. 1.91 crores have been reconciled and necessary entries have been booked in the current Financial Year. शेष मदों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाधान किया जाएगा । Remaining items shall be reconciled in the current Financial Year.
3.	नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली System of physical verification of Inventory वर्ष 2017-18 के लिए नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं। There were no discrepancies observed in the Physical Verification Report of Fixed Assets for the year 2017-18.	तथ्यात्मक Factual
4.	वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली System of physical verification of Fixed Assets पत्तन ने कोई मूल्यहास नीति तैयार नहीं की है और न ही महापत्तनों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क में निहित विशानिर्देशों के अनुपालन में परिसंपत्तियों (वस्तुसूची) का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है। तथापि पत्तन कालापेक्षी/अचल मदों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा, इस संबंध में कोई लेखांकन समायोजन मी नहीं किया गया है। The Port has not formulated any depreciation policy nor done any revaluation of assets(inventory)in compliance with the guidelines contained in the Common Framework for Financial Reporting for Major Ports. Though the Port is in the process of identifying the slow/non-moving items, the same is yet to be completed. Further, no accounting adjustments have also been made in this regard.	इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। This matter is already taken up by CAG with Ministry of Shipping and the same is under active consideration of Ministry of Shipping. पत्तन ने 31 मार्च, 2018 को वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। पत्तन वस्तुसूची में से कालापेक्षी/अचल में तो की पहचान की कार्रवाई निरंतर करता रहता है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध — I / Annexure-I to Audit Report

खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
		Port has already carried out physical verification of inventory as on 31 st March, 2018. The Port consistently carries out an exercise to identify slow and non-moving items of inventory. Many of these items are of vital, critical and essential in nature as the same are required for continuous operation of Port Equipment which are mostly imported.
		यद्यपि, लेखाकरण मानक-2 '' वस्तुसूचियों का मूल्यांकन '' के अनुसार यह आवश्यक है की वस्तुसूची को लागत या बाजार भाव में से जो भी कम हो, पर आँका जाएगा। पर ऐसे अचल कल पुर्जों के बाजार भाव का आविधक रूप से निर्धारण करना व्यवहारिक रूप से किटन होता है। इसलिए, पत्तन वस्तुसूचियों को लागत आधार पर ही जाहीर करता है। Though AS-2, "Valuation of Inventories" requires that inventory shall be valued at cost or market value whichever is lower, however, it is difficult to ascertain the market value of such nonmoving spares periodically, hence, the Port continues to disclose the value of the inventory at its cost.
		पत्तन लेखा मानकों का पालन कर रहा है। बाजार मूल्य के आधार पर वस्तुसूचियों का मूल्यांकन मनमानी होगा। Port is following Accounting Standard. The valuation of inventory on market value basis will result in arbitrariness.
		इस संबंध में यह कहा जाता है कि सामग्री अनुभाग समय समय पर कालापेक्षी/अचल मदों की सूची उपभोक्ता अनुभागों को टिप्पणियां हासिल करने के लिए भेजता रहा है। उपभोक्ता अनुभाग बेकार पुर्जी (बेकार उपस्करों से प्राप्त पुर्ज़े) की पहचान की और तदनुसार अनुभाग ने इन मदों को वस्तुसूची से हटाने की कार्रवाई की है, शेष मदों की स्थिति के संबंध में उपभोक्ता ने संकेत दिया है कि यह मदें महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रकृति की है और आपात स्थिति के दौरान प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, इन सभी पुर्जी को अनिवार्यता पूरा करने के लिए सूची में बनाए रखा जाना आवश्यक हैं। In this regard it is submitted that the Materials Section is sending the list of slow and non-moving items to the User Sections from time to time seeking their comments on the same. The User Sections have identified the obsolete spares (the spares pertaining to condemned equipment) and accordingly, the Section has taken action for removing these items from the inventory. Regarding the status of remaining items, the User Sections have indicated that these items are vital and essential in nature and are required for replacement during emergencies. Hence, all these spares are required to be maintained in the inventory to meet the exigencies. उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि पत्तन कालापेक्षी/अचल मदों की पहचान करने के लिए सभी प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है और इस संबंध में आवश्यक कदम उटा रहा है। All the above clearly shows that Port has followed the procedure for identifying slow and non-moving items and also taken
	वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समापन स्टॉक का मूल्य र31.66 करोड़ था जबिक वित्तीय अभिलेखों के अनुसार र.32.10 करोड़ था, इसके परिणामस्वरूप र. 0.44 करोड़ का अंतर आया है। हालांकि, इसे प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। As per the Physical Verification Report of main stores for the year 2017-18, the value of closing stock as on 31 March 2018 was ₹ 31.66 crore, whereas the financial records stated the same as ₹ 32.10 crore resulting in a difference of ₹ 0.44 crore. However, the same was not included in the Physical verification report.	necessary steps thereupon. यह कहा गया है की रु. 31.66 करोड़ का अभियांत्रिकी भंडार पुर्ज़े – उपभोज्य एवं फुटकर उपकरण के साथ साथ रु.0.02 करोड़ का उच्च गित डीजल और रु. 0.42 करोड़ की दबाइयों के स्टॉक को क्सुसूचियों में शामिल किया गया है और उक्त को समूह रिपोर्ट में दशाया गया। अतः रु. 32.10 करोड़ की कुल वस्तुसूची लेखों में दशाई गई है। It is submitted that inventory includes of inventory of Stock of High Speed Diesel amounting to Rs. 0.02 crores and stock of Medicine Disposable Consumable Hospital Stock amounting to Rs.0.42 crores along with inventory of Stock of Engg. Store Spares – consumables & Loose Tools amounting to Rs. 31.66 crores the same is also reflected in the Group Report. Hence, total inventory reflected in the accounts is Rs. 32.10 crores.
5.	सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता Regularity in payment of statutory dues:	
	पत्तन ने सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से किया है। The Port was regular in making payment of statutory dues.	तथ्यात्मक Factual.



लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध — II / Annexure-II to Audit Report

खंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars				पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes
Point	Particulars वित्तीय स्थिति : FINANCIAL POSITION 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत जवाहरला प्रकार रहीः The Financial Position of Jawaharlal Nehru Port Trust under the ended 31 March 2018 is given below: Particulars LIABILITIES देयताएँ Capital Reserves /पूंजी आरक्षित Other Reserves /अन्य आरक्षित Borrowings /अन्य आरक्षित Borrowings /प्रतिभृत ऋण Deferred Tax Libilities /आस्थिगित कर देयताएँ Current Liabilities & Provisions /वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान Total /योग ASSETS /परिसम्पत्तियाँ Net Fixed Assets /निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	e broad he (करोड 2015-16 3608.32 3429.41 41.32 183.35 2643.80 9906.20	adings for th रुपयों में / Rs 2016-17 3608.32 4327.34 556.84 220.73 3136.98 11850.21	3608.32 5251.73 1819.85 255.85 3811.52 14747.27	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's reply/Action Taken Notes वित्तीय स्थिति में दिखाए गए आंकड़ों को एतदद्वारा निम्मलिखित प्रेक्षणों के अधीन पुष्ट किया जाता है: The figures mentioned in the Financial position are here by confirmed subject to the following observations: 1. पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना करते समय पत्तन ब्याज से प्राप्त आय तथा भुगतान किए गए ब्याज के लिए समायोजन करता है जो लेखा परीक्षा ने नहीं किया है। While calculating Return on Capital Employed. Port makes adjustments for interest earnings and interest paid which has not been made by audit. 2. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के परिकलन के लिए पत्तन द्वारा अपनाई गई पद्धित लेखा परीक्षा की पद्धित से भिन्न है। नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना करते समय पत्तन स्रोत पर कर कटौती, असाधारण मदों, नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शोडों हेतु समायोजन करता है। The method followed by the Port differs with that of Audit for calculation of Capital Employed. Port makes adjustments for TDR, EOI, Sheds handed over to BOT Operators.
	Works-in-Progress /चालू कार्य Investments /निवेश Current Assets and Loans and Advances /वर्तमान परिसम्पत्तियाँ तथा ऋण और अग्रिम Deferred Tax Asset /आस्थिगत कर परिसम्पत्ति Other Assets/Misc. Expenditure: /अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय Sheds handed over to BOT operator /नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड SVRS Expenditure /एस वी आर एस व्यय Total /योग	0.00 33.63 0.00	76.78	0.00	
	Working Capital * /कार्यचालन पूंजी * Net Worth ** /निवल मूल्य ** Capital Employed *** /नियोजित पूंजी*** Net Surplus (before appropriation) /निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले) Return on Capital Employed **** /नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ **** (percentage) (प्रतिशत में) Capital Employed (including Work -in-Progress) /नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित) Return on Capital Employed (including /नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ Work -in- Progress) (percentage) (चालू कार्य सहित) (प्रतिशत में)	4522.34 7037.73 6914.99 718.91 10.40 7155.47	7935.66	8860.05 9437.86 952.16 10.09	
	 कार्यचालन पूंजी वर्तमान परिसम्पत्तियों में से वर्तमान देयताओं को घटाकर निकाली गई राशि को दिखाती है । Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities; ** निवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित तथा अधिशेष/ घाटे को दिखाता है । Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/deficit; *** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी को दिखाती है (ऊपर बताए गए अनुसार)। Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital; **** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष (विनियोजन के पूर्व) के प्रतिशत को दिखाता है । Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed. 				





ब्रंण्ड सं. Point No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर ∕ कृत कार्रवाई टिप्पणिय Port's reply/Action Taken Notes			
2.	कार्यचालन परिणाम :- WORKING RESULTS पत्तन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के जवाहरलाल नेहरू पत्तन स से नीचे दिए जा रहे हैं : The working results of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the last 2018 are summarized below:	कार्यचालन परिणाम में दिखाए गए आंकड़ो को एतदद्वारा पृष्ट किया			
		जाता है।			
	Particulars विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	The figures mentioned in
	Revenue / (क) राजस्व				working results are hereby
	Operating Income / (i) प्रचालन आय	1665.10	1700.97	1890.88	confirmed.
	Non operating income / (ii) गैर प्रचालन आय	319.60		345.46	
	Total /योग		2162.43		
	Expenditure / (ख) व्यय	1701.70	2102.13	2230.34	
		(02.12	004.07	751.24	
	Operating expenditure / (i) प्रचालन व्यय	693.12	804.97	751.24	
	Non operating expenditure / (ii) गैर-प्रचालन व्यय	132.11	16.53	45.15	
	Total /योग	825.23	821.50		
	Extra ordinary items /असाधारण मर्दे	72.85	0.00	0.00	
	Prior period charges /पूर्व अवधि प्रभार	-5.00	-3.81	-2.31	
	Net surplus/(deficit) before tax /कर से पहले निवल अधिशोष/घाटा	1091.62	1344.74	1442.26	
	Less: Provision for Tax /घटाएँ : कर के लिए प्रावधान	333.96	428.04	455.11	
	Add/Less: Deferred tax liability/ assets	38.97	37.38	35.12	
	Add: Withdrawn from Welfare Fund and				
	Infrastructure Reserve / जोड़ें / घटाएँ : आस्थिगत कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ	0.22	0.24	0.13	
	Net surplus/ (deficit) before	0.22	0.21	0.10	
	appropriation /जोड़ें: कल्याण निधि और आधारिक संरचना आरक्षित से आहरण	718.91	879.56	952.16	
	Less: Mandatory Appropriations, /विनियोग से पहले निवल अधिशेष	710.71	077.50	732.10	
	Transfers to Reserve Funds, etc. / घटाएँ : आज्ञापक विनियोग, आरक्षित निषियों आदि में स्थानांतरण	227.54	210.54	247.02	
		227.54	210.54	247.02	
	Surplus/Deficit transferred to General Reserve /(च) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/षाटा	404.05	660.00	70544	
	Reserve	491.37	669.02	705.14	
	Percentage of net surplus to /(छ) के लिए निवल अधिशेष का प्रतिशत :				
	(i) Operating Income / (i) प्रचालन आय	43.18	51.71	50.36	
	(ii) Net Fixed Assets / (ii) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	30.05	35.64	37.35	
	(iii) Net Worth / (iii) निवल मूल्य	10.22	11.08	10.75	
3.	अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता) RATIO ANALYSIS (LIQUIDITY AND SOLVENCY) पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ ग Some important ratios on liquidity and solvency and on financial below:				कार्यचालन परिणाम में दिखाए गए आंकड़ों एतदद्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वि स्थिति के अनुबंध-II के क्र.सं. 1 के संबंध हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन नियोजित पूंजी के परिकलन की 1 पद्धति ले
	Particulars विवरण	2015-	16 2016-1	7 2017-18	परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही से भिन्न है, इ
	a. Percentage of Current Assets to Current वर्तमान देयताओं के	लिए			कारण क्र.सं. (च) पर उपयोजित पूंजी के लाभ
	के Liabilities (including Provisions) वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों स		05 283.3	8 280.74	प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा परिकलन किए
	b. Percentage of Quick Assets to Current) वर्तमान देयताओं के लिए				प्रतिशत से भिन्न है ।
	ख Liabilities शीघ्र विक्रेय परिसम्पत्तयों का प्रतिशत		62 919.0	6 683.90	The figures mentioned in Ra Analysis are hereby confirmed
	c. Percentage of Sundry Debtors to प्रचालनीय आय के Operating Income लिए विविध देनदारों का प्रतिशत	39.	05 40.6	9 41.81	However, as explained in our reply Sr. No. 1 – Annexure-II Finance
	d. Percentage of Debt to Capital Reserve &				Position, the Port's method
	घ General Reserve पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत	0.	97 9.3	5 27.33	calculation of Capital Employed
	e. Percentage of profit before tax to: कर पूर्व लाभ का प्रतिशत :				different than the method used Audit, hence, the percentage of pr
	(क) a) Net Worth निवल मूल्य	15.	.51 16.9	5 16.28	to capital employed mentioned at
	(ख) b) Capital Employed नियोजित पूंजी		79 16.3		No.(e) shall differ with the percenta
	(ग) c) Operating Income प्रचालनीय आय	65	56 79.0	6 7627	calculated by audit

65.56

79.06

76.27

calculated by audit.

(ग) c) Operating Income प्रचालनीय आय



यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोडा गया है। This page is kept intentionally blank